THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD.
VIGILANCE DEPARTMENT

Vig/rewardscheme/'09/D1(a) 9th March 2009.

# CIRCULAR : 7

**Sub: Reward for informants who help fight corruption-Regarding**

There is a practice in the Central Government as well in certain State Govemments to give appropriate rewards to **informants** who give genuine **"source information "** which helps in **fighting corruption**.

2.0 Vigilance Division had proposed to introduce a similar system in SCI and the proposal has been accepted by the SCI Management. Accordingly, it has been decided to give appropriate cash rewards to informants who provide genuine source information to the Chief Vigilance Officer. The following are the broad guidelines for becoming eligible to qualify for the reward:-

i. This scheme is open to all employees of SCI both ashore and afloat, as well as **all outsiders.**
ii. The informant should provide complete details including evidence wherever possible.
iii. The details provided by the informants will be verified by the Vigilance Division. The details should enable the Vigilance Division into taking preventive / punitive vigilance action thereafter only which the informant will become eligible for a suitable reward
iv. Decision of the CVO in the matter will be final.

3.0 **Please note that the identity of the informants will be kept confidential**. This in line with the Central Vigilance Commission's theme for the Vigilance Awareness Week 2008 in which the Commission has laid great emphasis on the **'Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) Resolution, 2004 popularly known as the "Whistle Blowers Policy"** under which the Commission is committed to protecting the safety and identity of the whistleblowers and urges more persons to come forward in order to expose corruption in public life taking advantage of the PIDPI Resolution 2004. SCI, being a Govt. company, Whistle Blower Policy is followed as per the Central Vigilance Commission (CVC) guidelines and has also been approved by the SCI Board.

4.0 It is expected that all employees will take advantage of the subject scheme and assist the Vigilance Division in making SCI a **'zero-corruption'** or a corruption-free organization.

(M.B. Sagar, IPS) 5.3.
Chief Vigilance Officer

For SCI Notice Board.
To all shore personnel
To all fleet personnel

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
(सतर्कता प्रभाग)

Vig/rewardscheme/'09/D1(a) 9 मार्च, 2009

## परिपत्र : 7

**विषय : भ्रष्टाचार उन्मूलन में सहायता करने के लिए खबर देने वाले व्यक्तियों (मुखबिरों) को नगद पुरस्कार देने बाबत**

केन्द्रीय शासन और कुछ राज्य शासनों के द्वारा ऐसे मुखबिरों को नगद पुरस्कार / इनाम राशि देने की प्रथा चली आ रही है जो वास्तविक **''बुनियादी सूचना''** देते हैं और जिनसे **भ्रष्टाचार उन्मूलन** में सहायता मिलती है ।

2.0 सतर्कता प्रभाग ने एससीआई में इसी प्रकार की एक प्रणाली शुरु कराने का प्रस्ताव रखा था, जिसे एससीआई मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया है । तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी को वास्तविक बुनियादी जानकारी या सूचना देने वाले मुखबिर/खबरी को वाजिब नकद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा । इस नकद इनाम के लिए योग्य बनने हेतु पात्रता के लिए मुख्य दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:-

i. एससीआई के सभी तटीय और जहाजी कर्मचारी तथा **सभी बाहरी व्यक्ति** इस योजना में भाग ले सकते हैं ।
ii. मुखबिर के द्वारा, जहाँ तक संभव हो, सबूत सहित पूरी जानकारी दी जानी चाहिए ।
iii. मुखबिर के द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन सतर्कता प्रभाग के द्वारा किया जाएगा । ऐसी जानकारी जिससे कि सतर्कता प्रभाग को दंडात्मक / निर्णयात्मक कार्रवाई करने में सहायता मिलती है, मात्र ऐसे मुखबिरों को वाजिब इनाम देने पर विचार किया जाएगा ।
iv. इस विषय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

3.0 **कृपया नोट किया जाए कि मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी ।** यह बात सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2008 के लिए तैयार केन्द्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ पत्र के अनुरूप है । उक्त सप्ताह के दौरान आयोग ने **'जन हित प्रकटन एवं खबर देने वाले व्यक्तियों का सुरक्षा संबंधी संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई) जो ''व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी'' के रूप से ज्यादा लोकप्रिय है,** पर अधिक बल दिया था । इस पॉलिसी के तहत आयोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो भी व्हिसल ब्लोअर व्यक्ति हैं उनको सुरक्षा दी जाएगी और उनकी पहचान को गोपनीय रखेगी, तथा पीआईडीपीआई संकल्प 2004 का फायदा उठाते हुए आम जनजीवन में भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए आगे आने वाले अधिकाधिक व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगी । एक सरकारी कंपनी होने के नाते एससीआई, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी का अनुसरण करती है और एससीआई निदेशक मंडल के द्वारा भी इसे अनुमोदित किया गया है ।

4.0 सभी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और एससीआई को **''भ्रष्टाचारमुक्त''** अथवा एक भ्रष्टाचार रहित संगठन बनाने में सतर्कता प्रभाग की सहायता करें ।

एम. बी. सागर 8.03.09

(एम. बी. सागर, आई.पी.एस.)
**मुख्य सतर्कता अधिकारी**

- **एससीआई के नोटिस बोर्ड हेतु**
- **सभी तटीय कर्मचारियों को परिप्रेषित**
- **सभी जहाजी कर्मचारियों को परिप्रेषित**